

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:- प. 11(3)नवि/21

जयपुर, दिनांक 20 JUL 2021

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार नसीराबाद (जिला अजमेर) के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित होंगे का सिविक सर्वे करने एवं मास्टर प्लान क्षितिज वर्ष 2041 तैयार करने हेतु वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर को नियुक्त करती है:-

क्र. सं.	राजस्व ग्राम का नाम	
	अग्रेजी	हिन्दी
1.	NASIRABAD	नसीराबाद
2.	NANDALA	नान्दला
3.	BUBANIYA	बूबानिया
4.	MOTIPURA	मोतीपुरा
5.	CHAT	चाट
6.	JAGPURA	जगपुरा
7.	DHOLAN DANTA DERATHU	धोलादांता देरातू
8.	DERATHU	देरातू
9.	BARA PATTHAR	बारापत्थर
10.	RATAKHEDA	राताखेडा
11.	BAIWANJA	बैवन्जा
12.	DILWARA	दिलवाडा
13.	DILWADI	दिलवाडी

राज्यपाल की आज्ञा से

— १६ —

(त्रिभुवनपति)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, अजमेर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. अति. मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम), राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर।
6. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 20.07.2021 प्रकाशित कराये जाने बाबत आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

३३

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय